



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



No: CWC/ PCS & Tech Division/Circular/2023-24

Dated: 24.04.2023

परिपत्र / CIRCULAR-1

ग्रीष्म ऋतु का आगाज हो चुका है यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि इस ऋतु में वातावरण की आपेक्षिक आद्रता अपने निम्नतम स्तर पर होने के कारण भंडारगृह में भंडारित सामग्रियों की आग के प्रति ग्राहिता बढ़ जाती है। अतः इस मौसम में अतिरिक्त सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिससे आग लगने की सम्भावना को निर्मूल किया जा सके। इसके लिए हर स्तर पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है साथ ही निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखना श्रेयस्कर होगा।

With on set of summer season relative humidity reaches to its minimum level, goods in warehouses needs to be stored with utmost care and safety as they become more vulnerable to fire during summer. Following points may be scrupulously followed during the summer season to mitigate chances of fire.

1. भंडारगृह एक पूर्ण रूप से “धूम्रपान निषिद्ध” क्षेत्र है। भंडारगृह पर आने वाले आगंतुकों, जमाकर्ताओं, श्रमिकों, स्टाफ तथा ड्राइवर्स आदि को आग लगने जैसे आपातकाल के दौरान भंडारगृह की कार्य योजना की जानकारी दी जाय। किसी भी दशा में भंडारगृह परिसर में बीड़ी, सिगरेट, माचिस तथा लाईटर आदि के प्रवेश को सख्ती से रोका जाय।

Warehouse is a “NO SMOKING ZONE”. All visitors, workers, staff, drivers etc. entering into the premises must be educated in respect of fire emergency plan of centre. Entry of bidi, cigarettes, matchbox and lighters etc. inside the premises should not be allowed.

2. गोदामों तथा परिसर की साफ सफाई की समुचित व्यवस्था की जाय। किसी भी दशा में परिसर में कूड़ा- कचरा (अनुपयोगी बोरे तथा पोलीथिन के टुकड़े आदि) खुले में एकत्रित न होने दिया जाय। क्योंकि यह न केवल कीट संक्रमण का श्रोत हो सकता है, अपितु इनके कारण आग लगने की सम्भावना भी बलवती होती है।

Warehouse premises should be properly cleaned at all times. Empty gunnies and plastic pieces should not be left in open, as it not only makes way for cross infestation but may also lead to fire accidents.

3. परिसर में खड़े पेड़ों से गिरी सूखी पत्तियों को दैनिक रूप से एकत्रित करके परिसर के बहार चिन्हित स्थान पर निस्तारित किया जाय। किसी भी दशा में इन्हें परिसर में एकत्रित न करें और न ही परिसर में जलाने का प्रयास न किया जाय।

Fallen leaves inside the premises should be collected and disposed off on daily basis. Burning of leaves inside the premises is strictly prohibited.

4. जिन गोदामों में काटन भंडारित है, उनकी बिजली कटवा देनी चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट से आग लगने की सम्भावना न रहे।

Electricity should be disconnected in the godowns where cotton is stored to mitigate chances of fire due to short circuit.

5. केंद्र पर उपस्थित बिजली की फिटिंग्स को समय-समय पर चेक करते रहें, जिससे स्पार्किंग एवं दुर्घटना की कोई सम्भावना न रहे।

Regular checking of electrical fittings is necessary to avoid chances of fire.

6. यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि भंडारगृह पर लगे सभी इलेक्ट्रिकल पैनल पूर्ण रूप से कवर्ड हों।

It should be ensure that all electrical panels in the premises must be properly covered.

7. इलेक्ट्रिकल वायरिंग को चेक करके यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी जोड़ अच्छी तरह से लगे हों एवं उनकी पूर्ण रूप से टैपिंग हुयी हो।

All electrical connections /joints must be checked and ensured proper insulation so as to prevent fire hazards.

8. कृपया केंद्र पर उपयोगी, भंडारित सामग्री के अनुरूप, सहज पहुँच में, नियमानुसार पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का कष्ट किया जाय कि अग्निशमन यंत्र चार्ज हों तथा उन पर, उनका प्रकार, चार्जिंग तिथि एवं अगली चार्जिंग की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो।

The serviceability, type, accessibility and adequacy of fire extinguishers and fire buckets should be ensured. Further, it should also be ensured that the fire extinguishers are charged and of proper type, with the charging date and next charging date clearly mentioned on them.

9. जहाँ तक अग्निशमन बाल्टियों का प्रश्न है इस विषय में यह ध्यान रखा जाय कि कुल अग्निशमन बाल्टियों की आधी बाल्टियाँ सूखी महीन बालू से तथा शेष आधी बाल्टियाँ पानी से भर कर भंडारगृह में स्ट्रेटिजिक पॉइंट्स पर लगाना सुनिश्चित किया जाय।

निगमितका0: 4/1, सीरीइंस्टीट्यूशनलएरिया, अगस्तक्रांतिमार्ग, हौज़खास, नईदिल्ली-110016

4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎011-26566107/208, 011-42740481

ई-मेल: hodtech.cwc@cewacor.nic.in



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



Half of the total serviceable fire buckets should be filled with water and rest with fine dry sand. Also ensure availability of these fire buckets as per norms at strategic points.

10. साप्ताहिक रूप से अग्निशमन यंत्रों तथा बाल्टियों का निरीक्षण किया जाय तथा उसे दस्तावेजीकृत किया जाय | अग्निशमन यंत्रों के साप्ताहिक निरीक्षण के समय उनके नोजल की क्लीयरेंस , cartridge की इंटिग्रिटी, तथा प्लंजर का रिस्पोंस आदि की जाँच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उपस्कर सही तरीके से कार्य कर रहे हों |

Fire extinguishers and fire buckets should be inspected weekly and documented. At the time of weekly inspection of fire extinguishers, the clearance of their nozzle and integrity of cartridge, response of plunger, etc. should be checked to ensure that the equipment is working properly .

11. माक ड्रिल सिस्टम की एक अनिवार्यता है |अतः इसे निश्चित समयावधि पर दुहराया जाय ,जिससे आपातकाल की स्थिति के लिए तैयारी के स्तरका पता चल सके | माक ड्रिल के उपरांत प्राप्त रिस्पोंस / आकड़ों का विश्लेषण किया जाय तथा तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कदम उठाये जाय |

As per the ISO system, mock drill is to be conducted periodically as per the emergency preparedness plan, to evaluate the response time etc. and take corrective action accordingly.

12. निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से निरीक्षण के दौरान माक ड्रिल करके केंद्र पर उपस्थित सभी लोगों को आग लगने की आपातकालिक स्थिति में किस तरह से व्यवहार करना है की जानकारी दी जाय | साथ ही यदि किसी उपस्कर में कोई खामी द्रष्टिगत होती है तो तत्काल सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय |

The Inspection Officers must also carry out Mock Drill for fire-fighting during inspection not only to train the workers , staff and other stakeholders on fire-fighting but also to ascertain serviceability of Fire-fighting equipments/system and take action on spot to rectify the defects.

13. कोटन तथा रसायनों के भंडारण में अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है |इन्हें अनिवार्य रूप से परिभाषित कोड ऑफ स्टोरेज प्रैक्टिस के अनुरूप भंडारित किया जाय | किसी भी दशा में दो रिप्लेक्टिव रसायनों को एक साथ भंडारित न किया जाय | भंडारित स्टॉक के अनुरूप अग्निशमन यंत्र लगाये जाय तथा इस जानकारी को गोदाम के बहार प्रदर्शित किया जाय ,जिससे सभी अवगत रहें |

Hazardous commodities like Cotton & Chemicals must be stored away from others in separate compartments as per their specific code of storage practices. A chart showing compatibility of Fire-extinguisher with type of Fire and suitable for commodities must be displayed on wall outside at each godown for knowledge of all working in the warehouse and all should be trained on the working of each type of fire-extinguisher.

14. केंद्र पर समुचित पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय तथा यदि केंद्र पर स्टेटिक टैंक है तो उसकी आवश्यकतानुसार मरम्मत करके, उसे पूर्ण रूप से पानी से भरा रखा जाय |

Static tank should be filled with water and if need be, repaired/renovated so that the same can be utilized during the time of any exigency.

15. आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए महत्वपूर्ण फ़ोन नम्बरों को भंडारगृह परिसर में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाय |

Emergency contact numbers like Mobile number of Warehouse Manager, Regional Manager and designated Emergency Officer, Police, Fire Station ,Hospital/s etc. must be displayed at prominent places.

16. बीमा रजिस्टर, स्टॉक की स्थिति आदि हर हाल में दैनिक आधार पर पूर्ण किया जाय |

Insurance register , stock position etc. must be updated on day-to-day basis.

17. परिसर में आने - जाने वालों की सघन मोनिटरिंग की जाय, जिससे किसी भी समय पर परिसर में उपस्थित लोगों कि संख्या का सटीक पता लग सके|

Entry/exit of people in the warehouse premises should be properly recorded so as to keep a check on the number of people in the premises at a given point of time.

18. केंद्र पर लोकल फायर स्टाफ की मदद से कार्यशाला का आयोजन किया जाय, उसमें केंद्र के सारे स्टाक होल्डर्स को शामिल किया जाय | जिससे वे भी केंद्र के आपातकालीन प्लान से अवगत हो सकें |

Organize a workshop at the center with help of local fire Officer and involve all the stakeholders of the center in it so that they are also aware of emergency plan of the center.

निगमितका0: 4/1, सीरीइंस्टीट्यूशनलएरिया, अगस्तक्रांतिमार्ग, हौज़खास, नईदिल्ली-110016

4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎011-26566107/208, 011-42740481

ई-मेल: hodtech.cwc@cewacor.nic.in



75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking)

जन-जन के लिए भण्डारण/Warehousing for Everyone



19. जिन केन्द्रों पर जेनेरेटर उपलब्ध है, उसके लिए खरीदे जाने वाले डीजल को अलग सुरक्षित रखा जाय, उसे किसी भी दशा में स्टॉक के साथ गोदाम में न रखा जाय |
Diesel purchased for the centers where generator/s is/are available, should be kept separately, do not keep it in the godown with stock.

20. जिन केन्द्रों पर ट्रक, मशीनें गोदाम के अन्दर जाते हैं, उन सभी के सिलेंसर पर फायर retardant अनिवार्य रूप से लगाया जाय |

It is necessary to put fire retardant on the silencers of the trucks and m/cs in the centers where the trucks and m/cs go inside the godown.

21. जिन केन्द्रों पर फायर hydrants लगे हैं, उनके फायर होज, फायर स्प्रींकलर, टू वे ब्रेचिंग, पाइप नोज़ल, एयर रिलीज वाल्व, होज पाइप रील, जैकी पम्प, पम्प, फायर अलार्म तथा पॉवर बैक अप (डी.जी. सेट) आदि के रखरखाव की मुकम्मल व्यवस्था समय से की जाय |

Proper arrangement of maintenance of fire hose, fire hose box, fire-sprinkler, two way breeching, pipe nozzle, air release valve, hose pipe reel, jockey pump, pump, fire alarm and power back up (D.G. set) etc. should be made at centers where fire hydrants are installed.

डॉ. अनुराग त्रिपाठी / Dr. Anurag Tripathi
महा प्रबंधक (तक)

वितरण /Distribution-

1. All the Regional Managers. With the request to please, issue appropriate instructions in this regard to the centers and monitor compliance.
2. Chief Engineer, CWC, CO, New Delhi. For information and necessary action please.
3. PS to Director (M&CP), CWC, Corporate Office, New Delhi

निगमितका0: 4/1, सीरीइंस्टीट्यूशनलएरिया, अगस्तक्रांतिमार्ग, हौज़खास, नईदिल्ली-110016

4/1, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 ☎011-26566107/208, 011-42740481

ई-मेल: hodtech.cwc@cewacor.nic.in